<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्याः3/जी.आई. 54/तीन-14-35(2)/94</u>

प्रेषक,

अर्चना अग्रवाल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 01 अगस्त, 2014

विषय: भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि कई एक अवसरों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अपमान अथवा असम्मान के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लम्बे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, इससे झंडे की गरिमा प्रभावित होती है और साथ ही प्लास्टिक के जैविक रूप से अपघट्य न होने के कारण यह वातावरण के लिए हानिकारक भी होते हैं।

2- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता के प्रावधान के अनुरूप, जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाये तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न तो विकृत किया जाये और न ही जमीन पर फेंका जाये। ऐसे झंडों का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकान्त में किया जाये। **प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार अग्रणीय समाचार पत्रों मे प्रकाशन के साथ किया जाये**।

3- कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाय।

भवदीय,
अर्चना अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

http://www.shasanadesh.up.nic.in

संख्याः 3/जी.आई.-54 (1)/तीन-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन

(2) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

(3) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

(4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों का आवश्यक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
अर्चना अग्रवाल
प्रमुख सचिव।

http://www.shasanadesh.up.nic.in